

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-41 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गंगा राम पुत्र देववीर नि० पण्डित परसिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-83/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शान्ती देवी पत्नी लक्ष्मण खटिक नि० नयन जोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-101/21, 02. रजवन्ता देवी पत्नी शोभा राम नि० नयन जोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-102/21, 03. फूल चन्द्र पुत्र जगराम नि० प्रतापपुर मौजा वासुदेवपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-103/21, 04. आयोध्या पुत्र स्व० लौटन नि० ग्राम नेतुआ थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-105/21, 05. बाबूलाल पुत्र स्व० राम अछैवर नि० ग्राम तालागंज ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-106/21, 06. बिजई पुत्र खेलावन नि० ग्राम पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-107/21, 07. गोली पुत्र देवी नि० ग्राम हथिनी खास थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-108/21, 08. अन्नू पुत्र रामसागर नि० ग्राम काकरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-109/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनीता पत्नी राम बहादुर नि० विद्या नगर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-58/21, 02. जगराम पुत्र पाटनदीन नि० हरदीनपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-59/21, 03. वंशी लाल पुत्र स्व० हरिश्चन्द्र नि० चपरतल्ला थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-60/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विट्टन पत्नी स्व० राकेश नि० खिरौरा मोहन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-130/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शीतला प्रसाद पुत्र रामपति नि० खटिकनपुरवा दलपतपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-98/21, 02. ननका पत्नी स्वामीनाथ नि० खटिकनपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-99/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. फूलचन्द्र सिंह पुत्र इन्द्र नि० खरगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-92/21, 02. हरिराम पुत्र गंगू नि० कल्याणपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-94/21, 02. श्रीमती जगपता पत्नी रामबहाल नि० कल्याणपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-95/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कृष्णा वर्मा पत्नी पुत्तन नि० कहारन पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-62/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कृष्ण कुमार उर्फ हाजी पुत्र हनुमान प्रसाद नि० गोडियनपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-220/21, 02. राम दुलारी पत्नी नान्हू नि० कोरियन पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-221/21, 03. सुमन देवी उर्फ नन्दनी पत्नी राम कुमार नि० राधेपुरवा गिर्द थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-222/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राजू पुत्र शिवपूजन नि० दुल्लाहापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना धानेपुर में मु०अ०सं०-82/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राईबल उर्फ अजमत पुत्र रज्जाक नि० मेठिया मौजा सिसई थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में मु०अ०सं०-55/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

टैक्स चोरी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामसिंह गौतम पुत्र गंगाराम नि० भलपुरवा मौजा मारेफरिया थाना कटरा जनपद श्रावस्ती

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—1028/20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि व 66 सी० आई०टी०एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में तिलहन, खली, मेथाआयल, मूंगफली, राईस ब्रान आदि के व्यापार में हो रही संगठित कर चोरी के सम्बन्ध में वाणिज्यकर मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा जनपद गोण्डा एवं जनपद अयोध्या के फर्मों के कर चोरी की जाँच में टैक्स चोरी की बात सामने आयी थी जिसके सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा थाना को० नगर में उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसमें साक्ष्यों के आधार पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था तथा उक्त अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें वांछित चल रहा था। जिसको थाना को० नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 25.03.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अवध बिहारी पुत्र शिवबालक नि० मरगुबपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—86/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.03.2021 को थाना तरबगंज के उ०नि० घनश्याम सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मनियारे चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० घनश्याम वर्मा।

02. का० प्रभाकर यादव।

03. का० संदीप चौहान।

दहेज हत्या के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना को० देहात पुलिस ने दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों— 01. परशुराम पुत्र रामअचल मौर्या, 02 अनिल मौर्या पुत्र परशुराम निवासीगण जबरडीहवा मौजा बिलखावाँ थाना को० देहात जनपद गोण्डा को थाना को० देहात में पंजीकृत मु०अ०सं०—129/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 24.03.2021 को वादी स्वामीनाथ मौर्या पुत्र श्री रामसुधि नि० कन्दुरखा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फासी लगा कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० देहात में उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को० देहात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मारपीट करने के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तों—01. सुशील कुमार मौर्या पुत्र बाबूराम, 02. शिवकुमार कुमार मौर्या पुत्र बाबूराम, 03 महेश मौर्या पुत्र हरिप्रसाद निवासीगण धनावा मुरावन पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०—61/21, धारा 308.323.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों ने नाली के विवाद के चलते वादी ओमप्रकाश मौर्या पुत्र स्व० गया प्रसाद मौर्या नि० धनावा मुरावन पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के परिजनों को गाली—गुप्ता देते हुए लाठी—डण्डों से मारा—पीटा था। जिससे वादी के लड़के राम आशीष को गम्भीर चोटें आयी तथा वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त— सत्यम सिंह पुत्र स्वर्गीय दिनेश उर्फ लल्लू सिंह नि० ग्राम बेलसर डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०—85/21, धारा 306 भादवि० व 3(2)(5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी पप्पू पासवान पुत्र लोधे पासवान की भाभी व भतीजी को प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी की भाभी व भतीजी प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 23/24.03.2021 की रात्रि को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।